उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

विज्ञापन संख्या–ए–3/ई–2/2011

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 25 अगस्त, 2011

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 27 सितम्बर, 2011

संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा–2011

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट-**www.ukpsc.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1– अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अवलोकन अवश्य कर लें तथा विज्ञापन में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने पर ही आवेदन करें। अभियन्त्रण में डिग्री धारक अभ्यर्थी सम्बंधित विषय में डिप्लोमा धारक होने पर ही अर्ह होंगे।

2– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के **कॉलम–14, 15 व 16** में अवश्य करें तथा तत्सम्बन्धी वृत्त में अंकन काले अथवा नीले बॉल प्वाइंट पेन से करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक अवश्य होना चाहिए।

3– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 27 सितम्बर, 2011 तक** अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करते हों तथा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका (मार्कशीट) में अंकित तिथि का उल्लेख अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अवश्य करें अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। **अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।**

4– अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार के प्रयोग हेतु, अपने पास सुरक्षित रखें तथा प्रश्नगत परीक्षा के सम्बंध में भविष्य में होने वाले पत्राचार में **ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें।** ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रदान की गयी सूचनाओं में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है और न ही इस सम्बंध में कोई अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।

5– विशेष अपील संख्या– 83/2011 बालकृष्ण एवं अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26 मई, 2011 में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का चयन परिणाम दिनांक 15 मई, 2011 को पुनरीक्षित किये जाने का आदेश प्रदान किया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग द्वारा लोक निर्माण विभाग के 188 पदों को कम करते हुए दिनांक 15 मई, 2011 के चयन परिणाम को पुनरीक्षित कर चयन परिणाम दिनांक 03 अगस्त, 2011 को घोषित किया गया है। इस सम्बंध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26 मई, 2011 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति **याचिका संख्या–16432 अमित कुमार बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं विशेष अनुमति याचिका सं0 SLP(C) D-25182/2011 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम बालकृष्ण व अन्य** विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत विज्ञापन में सम्मिलित लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के **188 पदों** पर चयन की कार्यवाही उक्त याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

6– विशेष अपील संख्या– 83/2011 बालकृष्ण एवं अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26 मई, 2011 के क्रम में प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में दिनांक 15 मई, 2011 के चयन परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थी भी अपनी मैरिट को सुधारने के लिए (Improving their merit) आवेदन कर सकते है किन्तु उक्त हेतु दी गयी, विशेष अनुमति मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशष अनुमति याचिका 16432 अमित कुमार बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं विशेष अनुमति याचिका सं0 SLP(C) D-25182/2011 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम बालकृष्ण व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा–2011** के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु हरिद्वार एवं भीमताल (नैनीताल) के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने की स्थिति में आयोग इस विज्ञापन के "**परिशिष्ट–1**" में उल्लिखित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश–पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र यथासम्भव उनके द्वारा आवेदित परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किये जायेंगे, किन्तु विशेष परिस्थिति में आयोग द्वारा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यदि आयोग सीधे मुख्य (लिखित) परीक्षा